कार्यालय, समन्वयक, प्री डी.एल.एड. परीक्षा एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर

शिक्षा निदेशालय परिसर, लालगढ़, बीकानेर-334001

डी.एल.एड. (सामान्य)/डी.एल.एड. (संस्कृत)

(Formely Known as B.S.T.C.)

प्रवेश परीक्षा, 2019

E-mail : panjiyakpredeled2019@gmail.com, Website : http://education.rajasthan.gov.in/elementary

दूरभाष : 0151-2226570

विज्ञप्ति संख्या : 01/2019 दिनांक : 08.03.2019

राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण (अध्यापक शिक्षा) संस्थाओं में डी.एल.एड., सामान्य/डी.एल.एड., संस्कृत (Formely Known as B.S.T.C.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्री-डी.एल.एड. परीक्षा (प्रवेश परीक्षा), 2019 हेतु राजस्थान राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं मानदण्डों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित है।

क्र. सं.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां
1	ऑनलाइन आवेदन-पत्रों की उपलब्धता	14 मार्च, 2019 से
2	परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि	08 अप्रैल, 2019
3	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि एवं समय	10 अप्रैल, 2019 को रात्रि 12:00 बजे
4	प्रवेश परीक्षा	26 मई, 2019 दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे

1. पात्र अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर टोकन प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
2. आवेदन शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 08 अप्रैल, 2019 निर्धारित है, अतः अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व ही आवेदन शुल्क जमा करवा देंगे। अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें।
3. दिनांक 08 अप्रैल, 2019 तक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी दिनांक 10 अप्रैल, 2019 को रात्रि 12:00 बजे से पूर्व आवेदन ऑनलाइन फाइनल सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखा जावें।

पात्रता :

(अ) शैक्षणिक योग्यताएं :

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदण्डानुसार अध्यापक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) संस्थाओं में D.El.Ed. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	सामान्य	अनु. जाति/अनु. जनजाति	ओबीसी (अपिव)	विकलांग	सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिलाएं
डी.एल.एड. (सामान्य)/डी.एल.एड. (संस्कृत), 2019	50%	45%	45%	45%	45%

नोट : उक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।

2. उपर्युक्त नंबर 1 के क्रम में यदि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होगा/होगी (अभ्यर्थी द्वारा समकक्षता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा)।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ही प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा।
4. जो आवेदक वर्ष 2019 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हें काउन्सलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम निर्धारित काउंसलिंग की तिथि तक नहीं दिए जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ब) **आयु :** आवेदक की आयु 1 जुलाई, 2019 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय सेवा में सेवारत शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजकीय सेवा नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट देय होगी।

(स) **शारीरिक अयोग्यता :** ऐसे दिव्यांग आवेदक जो उनके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डालें, जैसे मूक (गूंगा) होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा (Deaf) होना, दोनों हाथों का नहीं होना जिससे कि श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना जिससे कि अभ्यर्थी कक्षा में खड़ा नहीं हो सके इत्यादि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त नेत्रांध (Blind) व अन्य दिव्यांग प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (जो कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का हो) प्राप्त आवेदक ही दिव्यांग कोटे के लिए आरक्षित सीटों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

Scanned by CamScanner